

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी :

श्रीमति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :

51/2017

1. गुरजन्त सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--प्रार्थी--

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थी--

1. सुभाष गोयल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

--निर्णय--

दिनांक : २२.१०.१८

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3एस की जमाबंदी संवत 2068 ता 71 के खाता सं0 28/33 नया पुराना के मु0 नं0 47 में 2.610 है0 भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह भूमि उन्हे विरासत में प्राप्त हुई है। जो मौका पर नहरी है और नहरी पानी से सिंचित है। संवत 1998 में यह भूमि राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज है। प्रार्थी के दादा व उसके भाई अर्जुन सिंह के नाम पूर्व में यह भूमि नहरी दर्ज थी। संवत 2035 ता 38 में सहवन से पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज कर दी। यह भूमि प्रार्थी के कब्जाकाशत में है जिस पर कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। इस संबंध में प्रार्थी ने पटवारी हल्का को कई बार कहा तो पटवारी ने टालमटोल कर दी और श्रीमान्जी से आदेश लाने बाबत कहा। यही वाद का कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 3एस की जमाबंदी संवत 2068 ता 71 के खाता सं0 28/33 के मु0 नं0 47 में 2.610 है0 बारानी को नहरी दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस संबंध में पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि चक 3एस की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 18 के मु0 नं0 47 की कुल 2.061 है0 भूमि गुरजन्त सिंह, राम सिंह, सतनाम सिंह पिसरान जीत सिंह हर तीन बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी में मु0 नं0 47 की उक्त भूमि सिंचित होना दर्ज है एवं मौके पर रकबा नहर के पानी से सिंचित है। सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीकरणपुर का पत्र क्रमांक 403 दिनांक 26.05.2017 संलग्न किया है जिसके अनुसार चक 3एस के मु0 नं0 47 में 8बीघा 10 बिस्वा रकबा व मु0 नं0 28 में 3बीघा 3 बिस्वा रकबा कुल 11 बीघा 13 बिस्वा रकबा की बारी जीत सिंह के नाम से चल रही है। जवाब स्टेट पेश हुआ।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी चक 3एस की जमाबंदी संवत 2068 ता 71 के खाता सं0 28/33 के मु0 नं0 47 में दर्ज 2.610 है0 बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाना चाहता है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर यह भूमि नहरी पानी से सिंचित है। सहायक अभियंता जल संसाधन श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्रांक 403 दिनांक 26.05.2017 से अंकित किया है कि चक 3एस के मु0 नं0 47 में 8 बीघा 10 बिस्वा में पानी की बारी जीत सिंह के नाम से चल रही है। पैरोकाराज के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

गुरजन्त सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान अनवान प्रकरण 51/2017

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

मद सं0 3 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी के दादा व उसके बड़े भाई के नाम संवत 2032 में मु0 नं0 47 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहरी भूमि दर्ज थी। इस भूमि की भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटि को बारानी से नहरी किया जाता है तो राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3एस की जमाबंदी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 18 व 28 के मु0 नं0 47 के किला नं0 3,4,8,11,12,18/3,19,20,22 की कुल 2.061 है0 बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के संबंध में यदि कोई अन्तर राशि देय होगी तो प्रार्थी वहन करेगा। इसके भुगतान के उपरांत ही इस आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक २२:१०:१८... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Keel
{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)